संख्या-35/2015/45 वी.आई.पी./26-3-2015

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 शासन।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 01 मई ,2015

विषयः समाज कल्याण विभाग के अधीन विमुक्त जाति के बच्चों के लिये शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से शत-प्रतिशत अनुदान पर संचालित आश्रम विद्यालयों के शिक्षकों की अधिवर्षता आयु 60 से 62 वर्ष किये जाने तथा सत्र लाभ की सुविधा अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्र संख्या-2812/स0क0/विधि प्रकोष्ठ/2014-15 दिनांक 10.12.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, समाज कल्याण विभाग के अधीन विमुक्त जाति के बच्चों के लिये स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से शतप्रतिशत अनुदान पर संचालित आश्रम रीति विद्यालय, प्रगति आश्रम हाईस्कूल बालागंज लखनऊ, विकास विद्यालय ईश्वर शरण आश्रम, इलाहाबाद तथा आश्रम रीति विद्यालय, सहारनपुर के शिक्षकों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष के स्थान पर 62 वर्ष किये जाने तथा सत्र लाभ की सुविधा अनुमन्य किये जाने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

वीरेन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव

पृ0सं0 35/2015/45 वी.आई.पी./26-3-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मण्डलीय, उपनिदेशक, सहारनपुर, इलाहाबाद एवं लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, सहारनपुर, इलाहाबाद एवं लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, सहारनपुर, इलाहाबाद एवं लखनऊ।
5- जिला समाज कल्याण अधिकारी, सहारनपुर, इलाहाबाद, एवं लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-3
7- गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in